सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / i-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

वर्ष 2015 का नौवहन महानिदेशक का आदेश संख्या – 4

फा.सं.समन्वय-8(7)/2015 दिनांक 24.09.15

विषय : नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार हेतु एक थिंक टैंक/एडवाइज़री बोर्ड की स्थापना किए जाने संबंधी.

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि एक थिंक टैंक/एडवाइज़री बोर्ड की स्थापना की जाए जिसमें समुद्रीय जगत से संबंधित इस क्षेत्र के विभिन्न वरिष्ठ विशेषज्ञ/प्रतिनिधियों. थिंक टैंक नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार को निदेशालय में वर्तमान प्रक्रियाओं के विकास और इनमें सुधार हेतु नए विचार दे सके.

2. तदनुसार, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने क्षेत्रगत विषय वार थिंक टैंक/एडवाइज़री बोर्ड को संघटित करने का निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया है. नौमनि मंत्रालय को सूचित कर, समुद्रीय/सामान्य प्रशासन क्षेत्रों से और अधिक विशिष्ट 3 (तीन) तक और व्यक्तियों को चुन सकता है.

3. संघटन:

3.1. नॉटिकल क्षेत्र:

3.1.1. प्रो. (डॉ.) कप्तान पीएस वंचिश्वर, पूर्व-नॉटिकल सलाहकार, भारत सरकार, मुंबई.

3.1.2. कप्तान अनिल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक, मैसर्स दुबई पोर्ट्स (डीपी) वर्ल्ड, मुंबई.

3.2. समुद्री इंजीनियरिंग क्षेत्र:

3.2.1. श्री एमवी राममूर्ति, पूर्व-अध्यक्ष (शिपिंग हैड, मरीन एन्ड पोर्ट्स), मैसर्स रिलायन्स इन्डस्ट्रीज़ लि., मुंबई.

3.2.2. श्री इन्द्र नाथ बोस, हैड (परफॉर्मेन्स मैनेजमेन्ट), मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, मुंबई.

3.3. नौ-वास्तु विषय क्षेत्र:

3.3.1. प्रो. (डॉ.) अनंत सुब्रहमण्यन वी., प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष (महासागर इंजीनियरिंग), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई.

3.3.2. श्री मधु एस. नायर, मुख्य महाप्रबंधक, मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि.

--2

3.4. <u>सामान्य प्रशासन:</u>

3.4.1. श्री पॉल एन्टॉनी. भाप्रसे, अध्यक्ष, कोच्चीन पत्तन न्यास, कोच्चि.

3.4.2. श्री एन्टॉनी प्रिन्स, मैसर्स स्मार्ट इंजीनियरिंग एन्ड डिज़ाइन सॉल्यूशन्स (एसईडीएस), कोच्चि.

3.5. <u>इनके साथ चुने गए सदस्य:</u>

3.5.1. डॉ. दीपक बी. फाटक, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष (सेवानिवृत्त), कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई, मुंबई.

3.5.2. डॉ. (सुश्री) टी. कुमार, भाप्रसे (सेवानिवृत्त), पूर्व-विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार भारत सरकार, नई दिल्ली.

4. <u>विचारार्थ विषय:</u>

4.1 यह थिंक टैंक अन्तरराष्ट्रीय सर्वोपम रीतियों और सांचों को दृष्टिगत रखते हुए नौमनि, भारत सरकार में सुधार लाने के लिए नई तकनीकें और समकालिक तथा भविष्यपरक विचारों को सृजित करेगा. जन सेवा प्रदाता संगठन के रूप में कार्य करने वाले नौमनि, भारत सरकार को यह प्रणालियों में सुधार लाने और इसके कार्य करने के तरीकों को फिर से निरूपित करने हेतु अपने सुझाव देगा ताकि यह भारत के राष्ट्रीय प्रशासन, वैश्विक स्तर पर समुद्रीय उद्योग की भावी आकांक्षाओं और चुनौतियों पर खरे उतरने के साथ-साथ अपने हितधारकों के हितों का कारगर तरीके से निर्वाह करने में गत्यात्मक तरीके से, इसमें अपनी शामिल होकर, प्रगतिशील दृष्टि के साथ, तत्समय अनुक्रियाशीलता के साथ एक चुस्त-दुरुस्त संगठनात्मक संस्था बन सके.

4.2. औपचारिक रूप से यह कम से कम हर 2-3 मास में एक बार नौमनि मुंबई के मुख्यालय में अपनी बैठक करेगा और पूर्वोक्त प्रयोजनों हेतु विभिन्न मुद्दों और चिंताओं पर विचार विमर्श करेगा. इस बीच, थिंक टैंक / एडवाइज़री बोर्ड के सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने निरंतर सुझाव/नई जानकारी ई-मेल के जरिए या फिर ऑनलाइन पत्राचार करने वाले समूह के तौर पर भी भेजते रहें.

4.3. मुंबई स्थिति नौमनि, भारत सरकार कार्यालय का मुख्यालय इस थिंक टैंक/एडवाइज़री बोर्ड के सचिवालय के तौर पर कार्य करेगा.

4.4. महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, नॉटिकल सलाहकार, मुख्य सर्वेक्षक और नौमनि के मुख्य पोत सर्वेक्षक इस निकाय के आंतरिक सदस्य होंगे, जो कि इसे सहयोग प्रदान करेंगे और परिणामी रूप से होने वाले परिवर्तनों को आंतरिक रूप से समय बद्ध रीति से रूपायित करेंगे.

4.5. इस निकाय की बैठकों की कार्यवाहियों के संबंध में होने वाले व्यय का वहन नौमनि, भारत सरकार के संबंधित वर्ष के संस्वीकृत बजट अनुदानों में से किया जाएगा.

4.6. भारत सरकार के प्रवृत्त एवं प्रयोजनीय नियमों और विनियमों के अंतर्गत यथानुमत रूप से थिंक टैंक/एडवाइज़री बोर्ड के बाहरी सदस्यों को मानदेय, यात्रा भत्ता, और दैनिक भत्ता दिया जाएगा.

4.7. थिंक टैंक/एडवाइज़री बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त को समय बद्ध रीति से कार्यरूप में लाया जाएगा और नियमित रूप से पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा.

भवदीय,

(एसजी भंडारे)
उप नौवहन महा निदेशक (समन्वय)